कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची

e-mail : pccf-development@gov.in ☎ 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0ब0-06/2021-372 दिनांक : 02/07/22

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची/ वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ बोकारो वन प्रमण्डल/ धनबाद वन प्रमण्डल/ रामगढ़ वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल/ कोडरमा वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल/ हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल/ चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल/ खूँटी वन प्रमण्डल/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ देवघर वन प्रमण्डल/ जमशेदपुर वन प्रमण्डल।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2022-23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत अवकृष्ट वनों का पुनर्वास, वनभूमि पर वृक्षारोपण, सीसल वृक्षारोपण, इकोलोजिकल पार्क, जमशेदपुर एवं नेचर पार्क, गिरिडीह का निर्माण हेतु कुल **रू0 1721.508 लाख (सतरह करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार आठ रूपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:- विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-32/2020-41/स्वी0 व0प0 दिनांक 29.03.2022 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-32/ 2020-5/आ0 व0प0 दिनांक 23.06.2022 ।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-58 अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रू0 1721.508 लाख (सतरह करोड़ इक्कीस लाख पचास हजार आठ रूपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S24060110158010103	982.209
आपूर्ति एवं सामग्री	19S24060110158010323	739.299
कुल :-		**1721.508**

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1 से 5** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी/वन संरक्षक होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यो के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर **अनुलग्नक-6 से 8** तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-9** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या–19S24060110158010103 एवं 19S24060110158010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तरीख तक अपने नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड के निर्धारित दर तक सीमित रहेगा एवं भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/DBT/डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा, साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार का Cash भुगतान नहीं किया जायेगा।

7. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना–सह–वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगें।

8. वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि किसी भी परिस्थति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र–परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. सभी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा राशि की निकासी एवं व्यय झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम 174 एवं वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत सुसंगत दिशा–निर्देशों के अनुरूप करना सुनिश्चित किया जायेगा।

10. योजना के कार्यान्वयन से पूर्व इनके प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी एवं इसकी एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय को समर्पित की जायेगी।

11. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित अधिसीमा से कम नहीं हो।

12. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरुप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अन्तर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरुप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

13. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरूद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्त्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोकर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

14. वैधानिक लेवी/करों, विनियम दरों/अनुसूचित दरों में परिवर्तन होने के कारण स्वीकृत राशि में परिवर्तन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की

अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के तहत अनुमान्य होगा, अन्य किसी प्रकार के दर में परिवर्तन हेतु राज्य सरकार की पुर्वानुमति अनिवार्य होगी।

15. योजनाओं में सामग्रियों का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या–940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार किया जायेगा।

16. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निहित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

17(I). ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते है उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेगें।

(II) ऐसे वन क्षेत्र पदाधिकारी जिन्होंने लेखा सर्मपण में विलंब किया जिसके कारण प्रमंडलीय लेखा में विलंब हुआ, उनके कार्यों का स्थल जाँच, उत्तरजीविता प्रतिशत का सत्यापन GIS Photography के साथ कर record में रखे तथा मासिक लेखा प्राप्त होने तथा समायोजन होने के बाद राशि दी जाय।

(III) बड़े अग्रिम, वन क्षेत्र पदाधिकारी को ना दिये जायें। भुगतान तथा समायोजन के बाद ही अग्रेतर राशि दी जाय।

(IV) Muster roll में अन्य ब्यौरा के साथ–साथ बैंक का नाम, Account number तथा IFSC कोड़ भी अंकित रहेगा। यथा संभव mobile number भी संधारित किया जाय।

(V) लेखा समायोजन में पूर्व निर्धारित Document के साथ–साथ संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी के Bank Account का Printout जिसमें संबंधित मजदूरों के भुगतान का साक्ष्य है, इसे भी प्राप्त कर लेखा समायोजन किया जाय।

(VI) एक वर्ष में सेवानिवृत होने वाले कर्मियों के अग्रिम/भुगतान समायोजन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष ध्यान देंगे।

(VII) पूर्व से गबन के आरोपी, गड़बडी करने वाले कार्यों पर वन प्रमंडल पदाधिकारी विशेष निगरानी की व्यवस्था रखेगें तथा ऐसे मामलों की व्यक्तिगत जाँच ज्यादा की जाय।

(VIII) राशि की विमुक्ति के पूर्व संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी उत्तरजीविता प्रतिशत की सूचना प्राप्त कर स्थल जाँच कर प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करेंगे। योजना के विरुद्ध राशि विमुक्त अधियाचना में उत्तरजीविता प्रतिशत की जानकारी संबंधित वन क्षेत्र पदाधिकारी/वनपाल/वनरक्षी के संयुक्त हस्ताक्षर से प्राप्त करें। अगर मानक के अनुरुप यह नहीं है तो दोषियों के विरुद्ध तुरंत कार्रवाई की जाय।

(IX) मासिक लेखा में पूर्व माहों का समायोजन कम से कम 75% होने के बाद ही अग्रेतर राशि जो आगामी माह में व्यय योग्य है, वही दी जाय। पूरे वर्ष की राशि एक साथ एकमुश्त विमुक्त न हो।

(X) COVID-19 के protocol का पालन सभी कार्यों में किया जाय।

(XI) श्रोत पर (At source-TDS) यथा आयकर (Income tax), GST/VAT Profession tax इत्यादि की कटौती का दायित्व वन प्रमंडल पदाधिकारी का होगा। किसी भी उल्लंघन के लिए वन प्रमंडल पदाधिकारी स्वतः जिम्मेवार होंगे।

18. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रुप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरुप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरुप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

21. विभागीय संकल्प संख्या 4/यो0ब0–42/2010–3916 दिनांक 13.09.2012 द्वारा निर्गत संकल्प में सिविल कार्यों की अधिसीमा रू0 50.00 लाख (पचास लाख रूपये) निर्धारित की गई है। अतः समर्पित प्रस्ताव में वृक्षारोपण से संबंधित कार्य विभागीय दर के अनुसार संपादित कराये जायेंगे एवं रू0 50.00 लाख (पचास लाख रूपये) की लागत से अधिक सिविल कार्य को निविदा या भवन निर्माण विभाग के माध्यम से संपादित कराये जायेंगे।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–06/2021**–372 दिनांक–02/07/22

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, झारखण्ड, राँची/ मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/हजारीबाग/पलामू/ राँची/ दुमका/ जमशेदपुर/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ हजारीबाग/ चतरा/ गढ़वा/ राँची/ दुमका/ देवघर/ जमशेपुर/ एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक– **01/यो0ब0–06/2021**–372 दिनांक–02/07/22

प्रतिलिपि :– अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, हजारीबाग/ गढ़वा/ बोकारो/ धनबाद/ रामगढ़/ गिरिडीह/ कोडरमा/चतरा/ खूँटी/ साहेबगंज/ गोड्डा/ देवघर/ डोरण्डा, राँची/ जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

<u>अनुलग्नक :– यथोक्त</u> ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक--1

वित्तीय वर्ष 2022—23 में कार्यान्वित की जाने वाली ''अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू—संरक्षण'' योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत इकोलोजिकल पार्क, चाकुलिया, जमशेदपुर से संबंधित उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एव व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्ड़ल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
	2nd Year (2022-23)				
1	Boundary wall				
1.1	Boundary wall - K to L	47.264	18.906	28.358	47.264
1.2	Boundary wall - L to M	48.423	19.369	29.054	48.423
1.3	Boundary wall - M to P	45.453	18.181	27.272	45.453
1.4	Boundary wall - P to Z	48.829	19.532	29.297	48.829
1.5	Boundary wall - J1 to J4	22.585	9.034	13.551	22.585
2	Gateway, Guard Post & Ticket Counter (with Electrical)	22.021	8.808	13.213	22.021
3	Boundary Wall				
3.1	Boundary Wall Block I to J	46.570	18.628	27.942	46.570
3.2	Boundary Wall Block J to K	22.743	9.097	13.646	22.743
3.3	Boundary Wall Block K to L	39.160	15.664	23.496	39.160
4	Pathway Work				
4.1	Pathway Block - A1 to A2	48.012	19.205	28.807	48.012
4.2	Pathway Block - A2 to B1	44.932	17.973	26.959	44.932
4.3	Pathway Block - B1 to B2	46.267	18.507	27.760	46.267
4.4	Pathway Block - B2 to B3	45.854	18.342	27.512	45.854
4.5	Pathway Block - B3 to C1	32.469	12.988	19.481	32.469
4.6	Pathway Block - C1 to C2	48.867	19.547	29.320	48.867
4.7	Pathway Block - C2 to C3	48.733	19.493	29.240	48.733
4.8	Pathway Block -C3 to C4	48.774	19.510	29.264	48.774
4.9	Pathway Block - C4 to C5	48.710	19.484	29.226	48.710
	Total 'A'	**755.666**	**302.266**	**453.400**	**755.666**
	Add G.S.T. @ 12% on 'A'	90.680	36.272	54.408	90.680
	Total 'B'	**846.346**	**338.538**	**507.808**	**846.346**
	Add Labour Cess @ 1% of 'B'	8.463	3.385	5.078	8.463
	Add Contigency, Survey & Quality Contoral @ 1% of 'B'	8.463	3.385	5.078	8.463
	Add Consultancy Fee on 'A' 1.25%	9.446	3.778	5.667	9.446
	Add G.S.T. @ 18% on	1.700	0.680	1.020	1.700
	Grand Total :-	**874.419**	**349.768**	**524.651**	**874.419**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत नेचर पार्क, राजदाहा धाम, गिरिडीह से संबंधित प्रस्तावित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

निकासी एव व्ययन पदाधिकारी : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल, हजारीबाग

(राशि लाख में)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य (हे0 / कि0मी0 / फीट / नं0)	दर	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
A	**RESEARCH**						
1	Soil Testing			0.100	0.030	0.070	0.100
B	**FORESTRY WORK**						
1	Survey and Demarcation (Ha.)	3		0.023	0.007	0.016	0.023
2	Site Clerance	3		0.054	0.016	0.038	0.054
3	Landscaping (Earth levelling, Earh cutting, Earth filling) (sqft)	520'x278'= 144560sqft		4.230	1.269	2.961	4.230
4	Planting of Ornamental plants (Nos)	1000	L.S.	2.500	0.750	1.750	2.500
C	**WORKS FACILITATING FOR DEVELOPMENT OF THE AREA**						
1	Creation of Concrete Gate with natural look (No)	1	3.589	3.589	1.077	2.512	3.589
2	Creation of Guard Room (No)	1	2.183	2.183	0.655	1.528	2.183
3	Public Utility (No)	1	7.694	7.694	2.308	5.386	7.694
4	Concrete Benches with natural look (No)	10	0.289	2.890	0.867	2.023	2.890
5	Creation of Bamboo Huts (No)	1	12.624	12.624	3.787	8.837	12.624
6	Creation of Gazebo (No)	3	3.312	9.936	2.981	6.955	9.936
7	Sitting facilities with Umbrella type shed (No)	6	2.486	14.916	4.475	10.441	14.916
8	Supply & fitting, fixing of sculpur of extinct speics etc	7		14.036	5.746	8.290	14.036
9	Laying Paver Blocks	2'x134'x15' 80'x80'		10.943	3.283	7.660	10.943
10	Construction of Platform	2	1.097	2.194	0.658	1.536	2.194
11	Creation of Drain	550ft		4.631	1.389	3.242	4.631
12	Deep Boring with Solar Pumpset overhead water storage	2	3.82657	7.653	2.296	5.357	7.653

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य (हे0/कि0मी0 / फीट/नं0)	दर	प्राक्कलित राशि	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
13	Water supply, laying of water supply pipelines for toilets, Drinking water points, Lawns, Administrative Buildings		5.000	5.000	1.500	3.500	5.000
	Sub Total :-			**105.196**	**33.094**	**72.102**	**105.196**
	Provision of Consultancy (1% of Total Project Cost)			**1.052**	**0.331**	**0.721**	**1.052**
	Grand Total :-			**106.248**	**33.425**	**72.823**	**106.248**
1	Planting of Ornamental plants (Nos)	1000	L.S.	1.500	0.600	0.900	1.500
2	Provision of Slider, Jhula for creation of Children Park		L.S.	8.000	3.200	4.800	8.000
3	Provision of Solar Street Light along the walkways and at strategic locations in the Rajdaha (No)	15	2.000	3.000	1.200	1.800	3.000
4	Creation of Car & Two Wheeler Parking			8.054	3.222	4.832	8.054
5	Electrification		LS	6.000	2.400	3.600	6.000
6	Furniture (Center Table & Chair)			1.500	0.600	0.900	1.500
7	Fitting & Fixing of CCTV Camera with Control Room			2.000	0.800	1.200	2.000
8	Wages of Un-silled Labour @ 10000/- Chaukidar, Mali	4		4.800	1.920	2.880	4.800
9	Wages of Guide (Semi-skilled) @ 15000/-	4		7.200	2.880	4.320	7.200
10	Custom 3D Wall Painting in Boundary Wall	500ft		2.850	1.140	1.710	2.850
11	Mural Wall Painting in Boundary Wall	200ft		7.200	2.880	4.320	7.200
D	**ADMINISTRATIVE UNIT**						
1	Construction of Administrative Building (No)	36.5'x22.5'		11.724	4.690	7.034	11.724
2	Fitting & Fixing of CCTV Camera with Control Room			2.183	0.873	1.310	2.183
3	Wages of Un-silled Labour @ 10000/- Chaukidar, Mali	4		4.800	1.920	2.880	4.800
4	Wages of Guide (Semi-skilled) @ 15000/-	4		7.200	2.880	4.320	7.200
5	Provision of 30 KV Silent Generator	1		5.000	2.000	3.000	5.000
6	Generator-cum-Store Room	1		2.485	0.994	1.491	2.485
7	Security fencing with New Boundary Wall (Ft)	2200ft	2.71528	59.736	23.894	35.842	59.736

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	भौतिक लक्ष्य (हे0 / कि0मी0 / फीट / नं0)	दर	प्राक्कलित राशि	मज़दूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल
8	Creation of Construction of Retaining Wall (Ft)	800ft		21.480	8.592	12.888	21.480
	PUBLICITY						
1	Display board (No)	10	0.050	0.500	0.200	0.300	0.500
2	Signage (No)	10	0.200	2.000	0.800	1.200	2.000
3	Hoardings (No)	5	0.400	2.000	0.800	1.200	2.000
4	Brochure (No)	3000	0.001	3.000	1.200	1.800	3.000
5	Dustbin (No)	20	0.040	0.800	0.320	0.480	0.800
Sub Total :-				**175.012**	**70.005**	**105.007**	**175.012**
	Provision of Consultancy (1% of Total Project Cost)			**1.750**	**0.700**	**1.050**	**1.750**
Grand Total :-				**176.762**	**70.705**	**106.057**	**176.762**
Grand Total (2021-22 to 2022-23) :-				**283.010**	**104.130**	**178.880**	**283.010**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–3

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अवकृष्ट वनों का पुनर्वास (1000 पौधा प्रति हे0) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			23258.65	**1725.00**	**24983.65**
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सा0वा0 प्रमण्डल, गढ़वा	50	11.629	0.862	12.491
2	बोकारो वन प्रमण्डल	50	11.629	0.862	12.491
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल	50	11.629	0.863	12.492
4	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	100	23.259	1.725	24.984
5	कोडरमा वन प्रमण्डल	50	11.629	0.863	12.492
6	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	100	23.259	1.725	24.984
7	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	100	23.259	1.725	24.984
8	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	100	23.259	1.725	24.984
9	खूँटी वन प्रमण्डल	80	18.607	1.380	19.987
10	साहेबगंज वन प्रमण्डल	105	24.421	1.811	26.232
11	देवघर वन प्रमण्डल	100	23.259	1.725	24.984
	योग :–	**885**	**205.839**	**15.266**	**221.105**

अनुलग्नक–4

वित्तीय वर्ष 2022–23 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हे0) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			36182.30	**2515.00**	**38697.30**
i	ii	iii	iv	v	vi
2	सा0वा0 प्रमण्डल, गढ़वा	50	18.091	1.258	19.349
3	कोडरमा वन प्रमण्डल	50	18.091	1.258	19.349
4	बोकारो वन प्रमण्डल	50	18.091	1.258	19.349
5	धनबाद वन प्रमण्डल	60	21.709	1.509	23.218
6	रामगढ़ वन प्रमण्डल	25	9.046	0.629	9.675
7	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	90	32.564	2.264	34.828
8	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	50	18.091	1.257	19.348

9	हजारीबाग पश्चिमी वन प्रमण्डल	80	28.946	2.012	30.958
10	चतरा दक्षिणी वन प्रमण्डल	100	36.182	2.515	38.697
11	खूटी वन प्रमण्डल	50	18.091	1.257	19.348
12	गढ़वा दक्षिणी वन प्रमण्डल	50	18.091	1.257	19.348
13	देवघर वन प्रमण्डल	75	27.137	1.886	29.023
योग :–		**730**	**264.130**	**18.360**	**282.490**

अनुलग्नक--5

वित्तीय वर्ष 2022–23 तक कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू–संरक्षण" योजना (अन्य व्यय) के अंतर्गत सीसल वृक्षारोपण (6150 पौधा प्रति हे0) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हे0 में)	वित्तीय लक्ष्य		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			116685.45	**4283.00**	**120968.45**
i	**ii**	**iii**	**iv**	**v**	**vi**
1	वन संरक्षक एवं राज्य वन वृक्ष विज्ञानी, राँची	50	58.342	2.142	60.484
योग :–		**50**	**58.342**	**2.142**	**60.484**
सकल योग :–		**1665**	**528.311**	**35.768**	**564.079**

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

E:\ANIL\2022-23\Allotment\OA\Soil Conservartion & Afforestation\S.O. 41 dt 29.03.2022 (7)\2nd yr

अनुलग्नक–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : अवकृष्ट वनों का पुनर्वास वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1000 पौधे

मजदूरी दर : 326.85 प्रति मानव दिवस

स्पेसिंग 3 मी. X 3 मी. अथवा 2 मी. x 2 मी. अथवा 3 मी. x 2 मी. (रिक्त स्थान की उपलब्धता अनुसार)

क्र0 सं0	कार्य विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू0 में)	सामग्री (रू0 में)	कुल व्यय (रू0 में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	13	4249.05	0.00	4249.05	
2	वृक्षारोपण	हे0	22	7190.70		7190.70	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	25	8171.25	0.00	8171.25	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2	653.70	0.00	653.70	
5	पौधों की सुरक्षा		9.16	2993.95		2993.95	30 हे0 तक 1 मानव दिवस एवं 30 हे0 से अधिक के लिए 2 मानव दिवस
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी0ए0पी0/ यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे0	0.00	0.00	1575.00	1575.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे0	0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		**71.16**	**23258.65**	**1725.00**	**24983.65**	

नोट (1) अग्रिम कार्य आरम्भ करने के समय लागु दैनिक मजदूरी दर पर सात वर्षीय योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यो पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) स्थल विशिष्ठ प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाऐंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरुपेण आवश्यकतानुसार किया जाएग इस कारण मजदूरी मद में राशि की व्यय 20% से ज्यादा या कम हो सकता है।

(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से सबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासयनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 1666

पौधों की दूरी : (3 मी0 X 2 मी0) मजदूरी दर : 326.85 प्रति मानव दिवस

क्र0	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रू० में)	सामग्री (रू० में)	कुल व्यय (रू० में)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे0	21.50	7027.28	0.00	7027.28	
2	वृक्षारोपण	हे0	36.50	11930.03	0.00	11930.03	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	41.50	13564.28	0.00	13564.28	
4	ट्रेंच के वर्म पर घेरान हेतु बीज रोपन	हे0	2.00	653.70	0.00	653.70	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हे0 तक)	स्थल	9.20	3007.02	0.00	3007.02	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग--		**110.70**	**36182.30**	**2515.00**	**38697.30**	

नोट (1) प्रथम एवं द्वितीय वर्ष योजना की कुल लागत राशि की 15 प्रतिशत राशि संबंधित ग्राम में प्रवेश बिन्दु कार्यो पर प्रथम वर्ष में व्यय की जायेगी।

(2) स्थल विशिष्ठ प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाऐंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरुपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा

(3) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से सबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(4) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासयनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(5) तकनीकी स्वीकृत में स्थल विशिष्ट में रोपित की जाने वाली प्रजातियों का उल्लेख किया जाय।

(6) पौधों का रोपण पूर्व से स्थापित वृक्षों के नीचे नहीं किया जाय।

(7) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक–

वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : सीसल वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे0 : 6150 पौधे मजदूरी दर : 326.85 प्रति मानव दिवस

क्र0 सं0	कार्य की विवरणी	इकाई	मानव दिवस प्रति हे0	मजदूरी रू0 में	सामग्री रू0 में	कुल व्यय रू0 में	अभ्युक्ति
(A)	वित्तीय वर्ष 2022–23 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1.	पौधशाला कार्य (आंशिक) रात्रि प्रहरी सहित	हे0	57	18630.45	0.00	18630.45	
2.	वृक्षारोपण	हे0	145	47393.25	0.00	47393.25	
3.	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे0	145	47393.25	0.00	47393.25	
4	सुरक्षा कार्य	हे0	8	2614.80	0.00	2614.80	
5	सामग्री (बीज, उर्वरक खाद, रसायन आदि)	हे0	0	0.00	4133.00	4133.00	
6	ट्रेंच के बर्न पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे0	2	653.70	0.00	653.70	
7	विविध कार्य (छायांकन एवं प्रसार सहित)	हे0	0	0.00	150.00	150.00	
	योग :–		**357**	**116685.45**	**4283.00**	**120968.45**	

नोट (1) स्थल विशिष्ठ प्राक्कलन अनुसूचित दरों पर तैयार किये जाऐंगे, जिसमें झाड़ी सफाई एवं घेरान कार्य पूर्णरुपेण आवश्यकतानुसार किया जाएगा

(2) सुरक्षा कार्य में मजदूरों का नियोजन वन से सबंधित ग्राम के स्थानीय मजदूरों को नियोजित कर किया जाएगा।

(3) जैविक खाद, शोध पौधशालाओं से एवं रासयनिक खाद का क्रय पैक्स एण्ड लैम्पस (PACS & LAMPS) से अथवा मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया से की जाएगी।

(4) झाड़ी सफाई में फलदार एवं अन्य महत्वपूर्ण वृक्षों को न काटा जाय।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-06/2021/372

दिनांक - 02-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33718	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदूरी	2,972,000.00 रुपये उन्तीस लाख बहत्तर हजार
2	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33719	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 03 - मजदूरी	2,972,000.00 रुपये उन्तीस लाख बहत्तर हजार
3	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33720	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 03 - मजदूरी	2,170,900.00 रुपये इक्कीस लाख सत्तर हजार नौ सौ

योग: रुपये इक्कयासी लाख चौदह हजार नौ सौ 8,114,900.00

क्रमिक योग:

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCE,DEV. JHARKHAND
RANCH

Run Date: 2/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-06/2021/372 दिनांक - 02-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33721	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 03 - मजदूरी	2,067,500.00 रुपये बीस लाख सड़सठ हजार पाँच सौ
5	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33722	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 03 - मजदूरी	5,582,300.00 रुपये पचपन लाख बयासी हजार तीन सौ
6	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33723	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 03 - मजदूरी	1,809,100.00 रुपये अठारह लाख नौ हजार एक सौ

योग: रुपये एक करोड पचहत्तर लाख तीहत्तर हजार आठ सौ 9,458,900.00

क्रमिक योग: 17,573,800.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

 Run Date: 2/7/2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33724	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 03 - मजदूरी	2,972,000.00 रुपये उन्तीस लाख बहत्तर हजार
8	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33725	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 03 - मजदूरी	10,413,000.00 रुपये एक करोड चार लाख तेरह हजार
9	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33726	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 03 - मजदूरी	5,220,500.00 रुपये बावन लाख बीस हजार पाँच सौ

योग: रुपये तीन करोड इकसठ लाख उन्नासी हजार तीन सौ — 18,605,500.00

क्रमिक योग: 36,179,300.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCE DEV. JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 2/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-06/2021/372 दिनांक - 02-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33727	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 03 - मजदूरी	5,944,100.00 रुपये उनसठ लाख चवालीस हजार एक सौ
11	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33728	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 03 - मजदूरी	4,135,000.00 रुपये इकतालीस लाख पैंतीस हजार
12	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33729	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 03 - मजदूरी	3,669,800.00 रुपये छत्तीस लाख उनहत्तर हजार आठ सौ

योग: 13,748,900.00

क्रमिक योग: रुपये चार करोड निन्नानवे लाख अठाइस हजार दो सौ 49,928,200.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

Run Date: 2/7/2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33730	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 03 - मजदूरी	2,442,100.00 रुपये चौइस लाख बयालीस हजार एक सौ
14	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33731	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 03 - मजदूरी	5,039,600.00 रुपये पचास लाख उनचालीस हजार छः सौ
15	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33732	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 03 - मजदूरी	5,834,200.00 रुपये अठावन लाख चौतीस हजार दो सौ

योग: रुपये छः करोड बत्तीस लाख चवालीस हजार एक सौ 13,315,900.00

क्रमिक योग: 63,244,100.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 2/7/2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060110158010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33734	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 03 - मजदूरी	34,976,800.00 रुपये तीन करोड उनचास लाख छिहत्तर हजार आठ सौ
17	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33736	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	212,000.00 रुपये दो लाख बारह हजार
18	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33737	BKRFOR001 ARUN KUMAR SINGH D F O, BOKARO 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	212,000.00 रुपये दो लाख बारह हजार

योग: रुपये नौ करोड छियासी लाख चवालीस हजार नौ सौ 35,400,800.00

क्रमिक योग: 98,644,900.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 2/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-06/2021/372 दिनांक - 02-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33738	DHNFOR001 SRI BIMAL LAKRA DIVISIONAL FOREST OFFICER 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	150,900.00 रुपये एक लाख पचास हजार नौ सौ
20	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33739	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICE 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	149,200.00 रुपये एक लाख उनचास हजार दो सौ
21	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33740	GRDFOR003 SHABA ALAM ANSARI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	398,900.00 रुपये तीन लाख अठानवे हजार नौ सौ

योग: 699,000.00

क्रमिक योग: रुपये नौ करोड तिरनावे लाख तीरयालीस हजार नौ सौ 99,343,900.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV. JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 2/7/2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33741	GRDFOR001 PRAWESH AGRAWAL DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	125,700.00 रुपये एक लाख पच्चीस हजार सात सौ
23	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33742	KDMFORA01 SURAJ KUMAR SINGH D.F.O. KODERMA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	212,100.00 रुपये दो लाख बारह हजार एक सौ
24	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33744	HZBFWL009 SOURAV CHANDRA DIV. FOREST OFFICE EAST 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	17,888,000.00 रुपये एक करोड अठहत्तर लाख अठयासी हजार

योग: 18,225,800.00

रुपये ग्यारह करोड पचहत्तर लाख उनहत्तर हजार सात सौ

क्रमिक योग: 117,569,700.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 2/7/2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33745	HZBFWL005 RAVINDRA NATH MISHRA I.F.S. D.F.O., HAZARIBAG WEST DIV,HZB 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	373,700.00 रुपये तीन लाख तीहत्तर हजार सात सौ
26	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33746	CTRFOR003 SURENDRA PRASAD SUMAN D.F.O. SOUTH DIVN. CHATRA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	424,000.00 रुपये चार लाख चौइस हजार
27	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33747	GRHFWL004 SHASHI KUMAR D.F.O. SOUTH DIV.GARHWA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	298,200.00 रुपये दो लाख अठान्वे हजार दो सौ

योग: रुपये ग्यारह करोड छियासी लाख पैसठ हजार छः सौ 1,095,900.00

क्रमिक योग: 118,665,600.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCH

 Run Date: 2/7/2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
28	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33748	RNCFORK01 KULDEEP MEENA D.F.O KHUNTI 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	263,700.00 रुपये दो लाख तीरसठ हजार सात सौ
29	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33749	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBGNJ 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	181,100.00 रुपये एक लाख इक्कयासी हजार एक सौ
30	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33750	DGRFORE88 RAJ KUMAR SAH DFO DEO.FOR.DIV.DEO. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	361,100.00 रुपये तीन लाख इकसठ हजार एक सौ

योग: रुपये ग्यारह करोड चौरानवे लाख इकहत्तर हजार पाँच सौ — 805,900.00

क्रमिक योग: 119,471,500.00

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV JHARKHAND
RANCHI

 Run Date: 2/7/2022

पत्र संख्या - 01/YB-06/2021/372 दिनांक - 02-Jul-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
31	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33751	DRNFWL032 SMITHA PANKAJ CF & STATE SILVICULTURIST JH 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	214,200.00 रुपये दो लाख चौदह हजार दो सौ
32	S 19 24060110158010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय State Scheme : NA Centeral Scheme : NA	33752	JSRFOR051 MAMTA PRIYADARSHI (I.F.S) D.F.O.JAMSHEDPUR PRM.JSR. 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	52,465,100.00 रुपये पॉच करोड चौइस लाख पैसठ हजार एक सौ

योग: रुपये स त्र ह करोड इक्कीस लाख पचास हजार आठ सौ 52,679,300.00

क्रमिक योग: 172,150,800.00

2/7/2022

(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCCF DEV.JHARKHAND
RANCH

Run Date: 2/7/2022